न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 258/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आईआईएफएल होम फाइनेन्स लिमिटेड अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता राजेन्द्र पाराशर
रजिस्टर्ड कार्यालयः–आईआइएफएल हाऊस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड़ नं. 16वी, प्लॉट नं. बी–23, थाणे इण्डस्ट्रियल एरिया, वागले एस्टेट, थाणे–400604, मुम्बई, महाराष्ट्र
क्षेत्रीय कार्यालयः– 4th फ्लोर, विनायक हाईट्स, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जिला जयपुर (राज.) 302021

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **नरेश मंडीवाल पुत्र दानाराम मंडीवाल,** निवासी फ्लेट नं. सी–516, खसरा नम्बर 1189/179, यूनिक अनमोल ब्लॉक सी, घोराना, सीकर (राज.) 332001
2. **सुनिता मंडीवाल पत्नि नरेश मंडीवाल,** निवासी फ्लेट नं. सी–516, खसरा नम्बर 1189/179, यूनिक अनमोल ब्लॉक सी, घोराना, सीकर (राज.) 332001

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

स्वीकृति आदेश

दिनांकः– 06 फरवरी, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री कुलदीप शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **नरेश मंडीवाल पुत्र दानाराम मंडीवाल** एवं **सुनिता मंडीवाल पत्नि नरेश मंडीवाल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पति **फ्लेट नं. सी–516, खसरा नम्बर 1189/179, यूनिक अनमोल ब्लॉक सी, घोराना, सीकर (राज.) 332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप एरिया 548 वर्गफीट कारपेट एरिया 426 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्रकार हैं– पूरब दिशा में 60 फिट रोड़, पश्चिम दिशा में अन्य की भूमि, उत्तर दिशा में अन्य की भूमि एवं दक्षिण दिशा में 60 फिट रोड़ है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹12,87,446/– (अक्षरे रूपये बारह लाख सतासी हजार चार सौ छिंयालिस)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **22.05.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **22.05.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **नरेश मंडीवाल पुत्र दानाराम मंडीवाल** एवं **सुनिता मंडीवाल पत्नि नरेश मंडीवाल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पति **फ्लेट नं. सी–516, खसरा नम्बर 1189/179, यूनिक अनमोल ब्लॉक सी, घोराना, सीकर (राज.) 332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप एरिया**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

548 वर्गफीट कारपेट एरिया 426 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में 60 फिट रोड़, पश्चिम दिशा में अन्य की भूमि, उत्तर दिशा में अन्य की भूमि एवं दक्षिण दिशा में 60 फिट रोड़ है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **06 फरवरी, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर